तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज़	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	धर्मसिंह बनाम दयाचंद	
	दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार नगर को आदेशित किया जाता है कि वह आ० ख० न० 461/0.29, 1101/0.88, 474/0.53 वाके ग्राम पैर्क तहसील नगर की बाबत पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार अद्धी में से अद्धी, तथा पूरी में से पूरी आराजी के कुर्रे बनाये जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। इसी प्रकार प्राथमिक डिक्री जारी हो। तहसीलदार नगर से कुर्रे रिपोर्ट तलब की जाकर पत्रावली दिनांक 15/4/25 को पेश हो।	
15/4/25	पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त हैं अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 02.06.25 को पेश हो	
2/6/25	पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त हैं अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15-7-25 को पेश हो।	
15/7/25	वकुलाय फरीकैन उप०, पत्रावली वास्ते कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 06/8/25 को पेश हो।	
6/8/25	वकुलाय फरीकैन उप०। तहसीलदार नगर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नगर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार दावा वादी फाइनल डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

(ज्योति प्रसाद मीणा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट्रैक)

न्यायालय सहायक कलक्टर नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 38/2023 तारीख दायरा:–22.06.2023

धर्मसिंह पुत्र हरफूल जाति यादव निवासी ग्राम बेर्रू तहसील नगर जिला डीग।

––––––वादी

बनाम

1. दयाचन्द पुत्र हरफूल
2. भगवान सिंह पुत्र हरफूल
   जातियान यादव निवासी ग्राम बेर्रू तहसील नगर जिला डीग।
3. तहसीलदार साहब तहसील नगर जिला डीग।
4. उपपंजीयक नगर तहसील नगर जिला डीग।

––––प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता श्री गजेन्द्रसिंह सिनसिनवार वादी।
2. अधिवक्ता श्री चरनसिंह चौहान प्रतिवादी संख्या 01, 02

निर्णय दिनांकः–06.08.2025

वादी द्वारा न्यायालय हाजा मे एक वाद बाबत विभाजन एंव अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 461/0.29, 1101/0.88, 474/0.53 बाके ग्राम बेर्रू तहसील नगर मे स्थित है। जिसका वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सा अनुसार अच्छी मे अच्छी तथा बुरी मे से बुरी आराजी के कुर्रे बनाये जाकर विभाजन कर पृथक–पृथक खाता एंव पृथक–पृथक लगान कायम किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 01, 02 की ओर से अधिवक्ता श्री चरनसिंह चौहान ने न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर वाद वादी अच्छी मे अच्छी तथा बुरी मे से बुरी आराजी के कुर्रे रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मगंवाये जाने हेतु सहमती जाहिर की।

बहस उपरान्त प्रकरण मे दिनांक 24.02.2025 को दावा वादी प्राथमिक डिक्री जारी जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) सरकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार तैयार कर यथाशीघ्र न्यायालय मे पेश करने बाबत आदेश प्रदान किये गए।

तहसीलदार नगर द्वारा वउनवानी प्रकरण मे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्र कमांक/भू.अ./25/2520 दिनांक 15.07.2025 को न्यायालय हाजा को कुछ इस प्रकार से प्रेषित किये गए।

1. आराजी खसरा नं0 461/1/0.09, 474/1/0.18, 1101/3/0.2950 किता 03 रकबा 0.5650 है0 धर्मसिंह पुत्र हरफुल।
2. आराजी खसरा नं0 461/2/0.10, 474/2/0.17, 1101/2/0.2950 किता 03 रकबा 0.5650 है0 भगवानसिंह पुत्र हरफुल।
3. आराजी खसरा नं0 461/3/0.10, 474/3/0.18, 1101/1/0.29 किता 03 रकबा 0.57 है0 दयाचन्द पुत्र हरफुल।

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्श कुछ इस प्रकार से है।

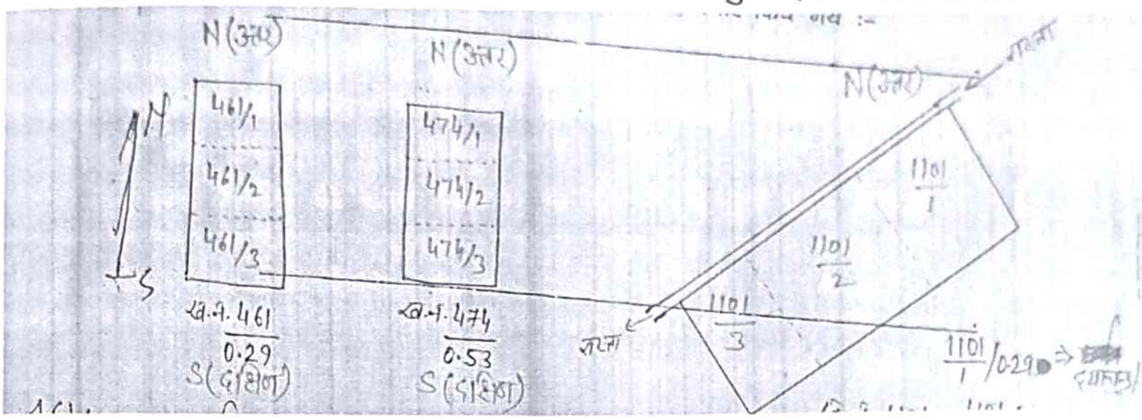

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया।

तहसीलदार नगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.07.2025 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–53 के नियम 18–21 के अन्तर्गत तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थिति बाबत पक्षकारान को सूचित करते हुये उपस्थित पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार किये गये है। अत तहसीलदार नगर द्वारा प्रेषित कुर्रेजात प्रस्ताव नियमों के संदर्भ मे प्रमाणिक व सही प्रतित होती है। जिसके अनुसार वादी रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन कराने का अधिकारी है। अत दावा वादी अन्तिम डिकी किये जाने योग्य है।

:आदेश:

अत वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नगर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 15.07.2025 के आधार पर उभय पक्ष के मध्य विवादित आराजी खसरा न0 461/0.29, 1101/0.88, 474/0.53 बाके ग्राम बेरू तहसील नगर को मुताबिक हिस्सा

जमाबन्दी, खाते अलग–अलग बहिस्सा लगान कायम किये जाकर निम्न प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे इंद्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

1. आराजी खसरा नं0 461/1/0.09, 474/1/0.18, 1101/3/0.2950 किता 03 रकबा 0.5650 है0 धर्मसिंह पुत्र हरफुल जाति अहीर (यादव) सा. बेरूं खातेदार राहिन पूर्ण हिस्सा पंजाब नेशनल बैंक शाखा बेरूं।
2. आराजी खसरा नं0 461/2/0.10, 474/2/0.17, 1101/2/0.2950 किता 03 रकबा 0.5650 है0 भगवानसिंह पुत्र हरफुल जाति अहीर (यादव) सा. बेरूं खातेदार।
3. आराजी खसरा नं0 461/3/0.10, 474/3/0.18, 1101/1/0.29 किता 03 रकबा 0.57 है0 दयाचन्द पुत्र हरफुल जाति अहीर (यादव) सा. बेरूं खातेदार राहिन पूर्ण हिस्सा पंजाब नेशनल बैंक शाखा बेरूं।

नक्शे मे तरमीम इस प्रकार से की जावे।

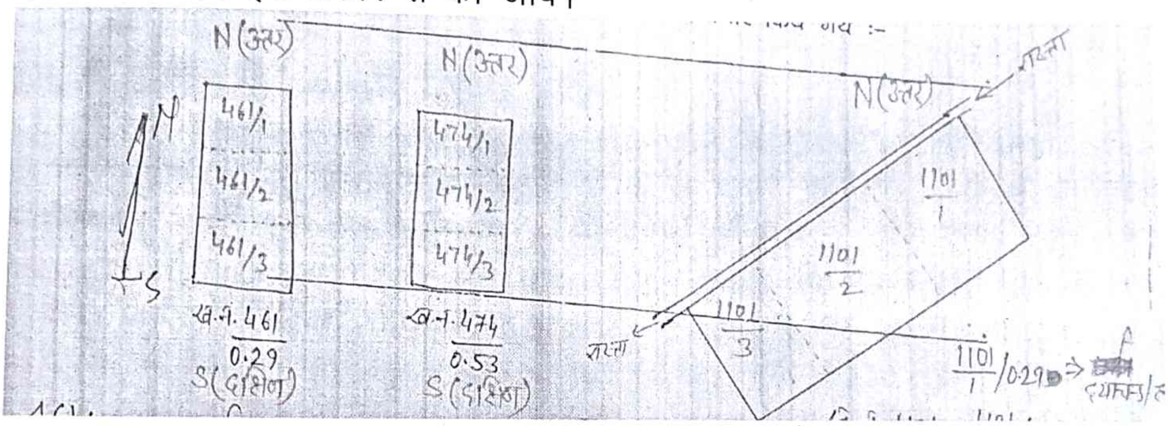

इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
सहायक कलक्टर
नगर (डीग)